

# “बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ” जोधपुर जिले की युवा महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

स्वाति

शोधार्थी- समाजशास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास, विश्वविद्यालय, जोधपुर

सारांश :-

समाज में बेटियों की हो रही दुर्दशा और लगातार घट रहे लिंगानुपात, समाज के लोगों की संकीर्ण मानसिकता का सबूत है। समाज में बेटी-बेटा के प्रति फैली असमानता की भावना का नतीजा ही है कि आज कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में मानव जाति का अस्तित्व, महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी के बिना संभव नहीं है। दोनों ही दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व के साथ-साथ किसी भी देश के विकास के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

संकेताक्षर :-कन्या भ्रूण हत्या,लिंगानुपात,,

प्रस्तावना-

पूरे ब्रह्माण्ड में मनुष्य ही नहीं तमाम जीवों में, वंश का विकास दो लिंगों पर आधारित है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष एक साथ रचे और उन्हें विशिष्ट तरह के गुण भी प्रदान किये। इन्हीं गुणों के चलते प्रत्येक महिला-पुरुष अपने एक विशेष किरदार में हैं। जब महिला - पुरुष का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सब जगह दिखाई देता है। अब जिस रचना पर हमारा अधिकार नहीं, उससे छेड़छाड़ करना, न केवल हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है बल्कि यह अप्राकृतिक, अनैतिक और अमानवीय भी है। मेरा सीधा इशारा भारत में बिगड़ते लिंगानुपात पर है। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि हर रोज सरकारी और गैर सरकारी आँकड़े हमारे सामने आते हैं और इस तरफ इशारा करते हैं कि अभी भी समय है हम सँभल जाएं, वरना यह समस्या इतना भीषण रूप ले लेगी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा।

भारतीय समाज में जहाँ कन्या को पूजा जाता है आज उसके प्रति आदर तो दूर उसे जन्म लेने के पहले ही मार देने जैसा घिनौना काम अपराधों की श्रेणी में न आकर उससे कहीं ऊपर है। इसे सामाजिक और सामूहिक पाप और कलंक कहा जाना चाहिए। सामाजिक इसलिए कि एक कृत्य से एक व्यक्ति या परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सामूहिक इसलिए कि हम इस घृणित काम को होने देने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं।

सरकार और हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक समझता है कि समस्या कितनी गम्भीर है। दोनों अपने-अपने स्तर पर प्रयत्नशील भी हैं कि इसका निदान हो। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ इन्हीं प्रयासों में एक सकारात्मक कदम है जो वर्तमान सरकार ने उठाया है। इस पर काफी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है। पर क्या सरकारी योजनाएँ और कुछ नागरिकों की चिन्ताएँ इससे अकेले लड़ लेंगी? नहीं! इस समस्या की जड़ में बहुत से निहित स्वार्थ हैं, रुढ़िवादी सोच है, और बहुत सारे अन्धविश्वास द्य जब तक पूरा भारतीय समाज जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा और सरकारी योजनाओं में सहयोग नहीं करेगा। तब तक इस समस्या का समाधान मुश्किल लगता है। भारतीय समाज में स्त्रियाँ लम्बे समय से पूर्वाग्रहों, भेदभाव आदि की शिकार होती आयी हैं,

उनको जरूरी अधिकारों से अलग रखा जाता रहा है और शायद इसी अलगाव का सबसे बुरा प्रभाव यह रहा कि उन्हें जन्म के अधिकार से ही वंचित किया जाने लगा। इसका दुष्परिणाम यह देखने को मिला है कि देश के विभिन्न भागों में लगातार बाल लिंगानुपात गिरता जा रहा है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की गई हैं और महिलाओं की साक्षरता दर में भी सुधार हुआ है, फिर भी बालिका के प्रति सदियों पुरानी परम्पराओं और रीति रिवाजों का प्रचलन देश के अधिकांश भागों में अब तक मौजूद है। इससे हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर दुष्प्रभाव पड़ा है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि बालिका को उत्तरजीविका का अधिकार नहीं दिया जाता है। यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश के कई भागों में जेंडर आधारित लिंग चयनित समापन अब तक जारी है। गिरते बाल लिंग अनुपात (सी.एस.आर.) की समस्या पृथक नहीं हैं, क्योंकि इससे महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में गिरावट का संकेत मिलता है। जनगणना 2011 से पता लगता है कि सीएसआर (0-6 वर्ष) में वृद्ध और उल्लेखनीय गिरावट आई है और प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में 918 बालिकाओं के साथ यह अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। 36 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से 13 मण सी. एस. आर. का स्तर 2011 के राष्ट्रीय औसत (प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में 918 बालिकाएं) से कम है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम 972 का सी. एस. आर. है तथा हरियाणा में यह न्यूनतम 834 है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में 900 से कम बालिकाओं की संख्या दर्ज की गई है।

गिरते हुए बाल लिंगानुपात की स्थिति में सुधार लाने के लिए और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा के महत्व को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ योजना शुरू की गयी। बेटियों के कल्याण के लिये जो नीतियाँ या योजनायें बनी हैं उनके प्रति उनमें जागरुकता का अभाव है।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने शोध का विषय भारत सरकार द्वारा संचालित “बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ” योजना के प्रति जागरुकता एवं जोधपुर जिला प्रभावितकता का अध्ययन जोधपुर जिला जिसमें जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ योजना की स्थिति का अध्ययन कर उनके विचारों का विश्लेषण किया है।

#### **वर्ष 2011 से अब तक 45 अंकों की बढ़त-**

वर्ष 2011 में जारी जनसंख्या के आंकड़ों में जोधपुर में लिंगानुपात 915 था। जिला टॉप-5 तो दूर रहा, टॉप-10 में भी नहीं था। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा। अब यहां लिंगानुपात 960 तक पहुंच गया है। यानी 45 अंकों की सीधी बढ़ोतरी।

#### **यह किए गए नवाचार-**

- रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में बारां को पछाड़ा
- काम नहीं करने पर एक दिन का मानदेय काटा
- आशा सहयोगिनियों के लिए एक घंटे कार्य की अनिवार्यता
- उम्मेद अस्पताल में कन्या जन्म पर थालियां बजाई गईं।
- बेंटी को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया। उन्हें चांदी के सिक्के प्रदान किए गए।
- बेंटी जन्म पर सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं में आवेदन का सरलीकरण किया गया।
- जननी सुरक्षा योजना का लाभ शीघ्र देने की व्यवस्था की गई।
- शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रैलियां निकाली गईं।
- बालिका जन्म पर ढूंढोत्सव की परम्परा शुरू की गई
- शहर के अधिकांश ऑटो पर बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ के नारे लिखवाए गए
- अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का माह में पांच निरीक्षण करने थे लेकिन यह आंकड़ा यहां प्रतिमाह 90 तक किया।

### कई समाज-संगठन भी आए-

- श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने बेटी जन्म पर बेटी के नाम 2100 रुपए की एफडी करवाने का निर्णय किया।
- नारवा की ढाणी गंडेरो में बेटी जन्म पर न केवल थाली बजाई गई बल्कि पीहर और ससुराल पक्ष की ओर से मां को पीली चुनर ओढ़ाई गई।
- पुष्करणा ब्राह्मण समाज में पहली संतान बेटी हो या बेटा, सामूहिक भोज का आयोजन शुरू हुआ।

जोधपुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताहका आयोजन जनवरी 2023 किया था जिसके अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता द्वारा मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक प्रियंका विश्नोई के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इसमें बालिकाओं सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उपनिदेशक श्रीमती प्रियंका विश्नोई ने बालिकाओं को सुनहरे भविष्य के लिए निष्ठा और लगन के साथ कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक फरसाराम विश्नोई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका व महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों व कानूनों की जानकारी दी तथा सामाजिक बुराईयों को खत्म कर बालिकाओं व महिलाओं को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने की अपील की। जिला कार्यक्रम प्रबंधक (वर्ल्ड विजन इंडिया) श्री जितेन्द्र गोरे, समाजसेवी श्रीमती किरण गौड़ आदि विचार रखे।

इस दौरान बालक-बालिकाओं द्वारा महिला मुद्दों पर आधारित पोस्टर रंगोली एवं स्लोगन के माध्यम से प्रस्तुति देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पोस्टर, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिताएँ आयोजित करवायी गयी। इनमें विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

इस अवसर पर खेलकूद, शिक्षा, सामाजिक उत्थान एवं समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर वन स्टॉप सेण्टर परिसर में बेटी के नाम पौधारोपण किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह की गतिविधियों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सप्ताह में हुए कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन महिला अधिकारिता विभाग की संरक्षण अधिकारी सुश्री सुनीता ने किया। इसी तरह जिले की समस्त पंचायत समितियों में प्रचेता/सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) द्वारा ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न गतिविधियां की गई।

### बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – योजना की समीक्षा

सबके लिए बराबर आर्थिक विकास के लिए जीवित बचने और शिक्षा के अवसरों में लैंगिक समानता बेहद जरूरी है। ये एक मूल मानव अधिकार सुनिश्चित करने की बुनियादी जरूरत भी है। टिकाऊ विकास के लक्ष्यों, अच्छी शिक्षा और लैंगिक समानता के जरिए लगातार ऐसी बेहतर नीतियां बनाने पर जोर दिया जा रहा है जो लड़कियों और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को कम कर सकें।

2011 की जनगणना में 111 पुरुषों पर 100 महिलाओं का अनुपात दर्ज किया गया था हालांकि हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले एक दशक में ये अंतर कुछ कम हुआ है। आज प्रति 100 महिलाओं पर 109 पुरुषों का अनुपात बचा है और अब ये घटकर 100 महिलाओं पर 108 पुरुष हो गया है। देश में महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में भी यही बदलाव देखने को मिला है।

भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक नियमों, जैसे कि बेटों को तरजीह देने और महिलाओं को दबाने वाली सामाजिक सत्ता की संरचना लगातार बच्चियों का अस्तित्व बचाने और उनकी पढ़ाई में बाधा बनकर खड़ी होती रही है, इससे लड़कियों को जिंदगी में आगे बढ़ने के दौरान कई मुश्किलों से जूझना पड़ता है और पूरे जीवन वो तरक्की के कई आर्थिक अवसर गंवा देती हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2000 से 2020

के दौरान भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जहां लड़कों और लड़कियों का अनुपात बेहद खराब है। इसके प्रमुख कारण गर्भपात कराने को कानूनी मान्यता मिलना और 1970 के दशक में गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता लगा लेने वाली तकनीक उपलब्ध होना रहे हैं। 2011 तक बच्चों के लिंग का पता चलने के बाद उनके गर्भपात कराने की तादाद लगातार बढ़ती रही थी। 2011 की जनगणना में 111 मर्दों पर 100 महिलाओं का अनुपात दर्ज किया गया था। हालांकि, हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के मुताबिक पिछले एक दशक में ये अंतर कुछ कम हुआ है। आज प्रति 100 महिलाओं पर 109 पुरुषों का अनुपात बचा है और अब ये घटकर 100 महिलाओं पर 108 पुरुष हो गया है। देश में महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में भी यही बदलाव देखने को मिला है।

### निष्कर्ष :-

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनमिक रिसर्च ने योजना के मूल्यांकन के लिए एक स्टडी की जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जिन 161 जिलों में ये योजना शुरू में लागू की गई थी वहां उम्मीद के मुताबिक बदलाव हुए हैं इस अध्ययन में भी योजना को लागू करने की प्रक्रिया में कई कमियां पाई गई थीं और लड़कियों के स्कूल में दाखिले और पढ़ाई जारी रखने की राह में संरचनात्मक बाधाएं सामने आई थीं, नीचे की टेबल में स्कूल स्तर के सूचकांक दिए गए हैं, जैसे कि अपनी पढ़ाई जारी रखने में लड़कियों को जो मुश्किलें आती हैं उनका पहचान करने और लड़कियों को कम से कम बारहवीं तक पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए स्कूलों ने क्या किया सर्वे में शामिल 73.5 प्रतिशत स्कूलों में देखा गया कि उनके ऊपर देख-रेख की जिम्मेदारी साफ सुथरे और चालू शौचालयों की कमी, किताबें या यूनीफॉर्म खरीद पाने में नाकामी और आवाजाही के सुरक्षित साधनों की कमी जैसे कई कारण हैं, जिससे लड़कियों की पढ़ाई बाधित होती है।

### संदर्भ—

1. प्रमिला कपूर 1973 ने अपनी पुस्तक 'द चेन्जिंग स्टेटस ऑफ द वर्किंग वीमन'
2. तारा अली बेगम 1976 'इंडियाज वुमन पावर'
3. कमचा चट्टोपाध्याय 1978 'इंडियन वुमन बेटल फॉर फ्रीडम'
4. नादिया मुराद 'द लास्ट गर्ल'
5. सुधा मूर्ति 'पुस्तक— अस्तित्व'
6. मंजू मंडोल, वीणा द्विवेदी, सुनिल चौधरी, लालराम जाट पुस्तक— 'महिला सशक्तिकरण दशा और दिशाएं'
7. प्रेमचंद पुस्तक 'वरदान'
8. भगवती चरण वर्मा 'चित्रलेखा'
9. आचार्य प्रभांत 'स्त्री मुक्ति की उड़ान'
10. नीता बोरा शर्मा, चंद्रावती जोषी 'महिला सशक्तिकरण का बदलता परिदृश्य चुनौतियां एवं संभावनाएं'
11. ममता कालिया पुस्तक 'बेघर'